**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1858**
**मंगलवार, 01 अगस्त, 202310 श्रावण/, 1945 को (शक)उत्तरार्थ**

## सहकारी समितियों का कार्यकरण

**†1858. श्री नलीन कुमार कटील:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में कार्यरत सहकारी समितियों की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सहकारी समितियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कई ऐसी सहकारी समितियां हैं जो अपने खातों की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा नहीं करवा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी सहकारी समितियों की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जाए?

**उत्तर**
**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

(क): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार, देश में राज्य-वार सहकारी समितियां अनुलग्नक में दी गई हैं। सहकारिता मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित कर रहा है। चरण-I के तहत, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी हो चुकी है। चरण- II के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों व फेडरेशन का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण-III के तहत, डेटाबेस को अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत शेष सहकारी समितियों तक बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस चरण-III के अंतर्गत डेटा संग्रह पूरा होने पर जारी किया जाएगा।

(ख) से (घ): वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 द्वारा शासित होती हैं और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय पंजीयक (CRCS) द्वारा केंद्रीय रूप से प्रशासित होती हैं। बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार और वार्षिक लेखापरीक्षा तंत्र सशक्त करने आदि के लिए, बहु-राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 संसद के वर्तमान मानसून सत्र में विचाराधीन है। वार्षिक लेखापरीक्षा निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित है, संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 द्वारा शासित होती हैं और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य पंजीयक (RCS) द्वारा प्रशासित होती हैं।

*****

*अनुलग्नक*

## देश में राज्य-वार सहकारी समितियाँ

| क्र .सं . | राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम | सहकारी समितियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 2104 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 73218 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 783 |
| 4 | असम | 10246 |
| 5 | बिहार | 39169 |
| 6 | चंडीगढ़ | 243 |
| 7 | छत्तीसगढ | 11364 |
| 8 | दिल्ली | 6360 |
| 9 | गोवा | 3822 |
| 10 | गुजरात | 77550 |
| 11 | हरियाणा | 24572 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 5394 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर # | 2020 |
| 14 | झारखंड | 13855 |
| 15 | कर्नाटक | 40938 |
| 16 | केरल | 19263 |
| 17 | लक्षद्वीप | 81 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 47415 |
| 19 | महाराष्ट्र | 205886 |
| 20 | मणिपुर | 9237 |
| 21 | मेघालय | 1555 |
| 22 | मिजोरम | 1437 |
| 23 | नागालैंड | 9059 |
| 24 | ओडिशा | 17330 |
| 25 | पुदुचेरी | 532 |
| 26 | पंजाब | 17437 |
| 27 | राजस्थान | 28459 |
| 28 | सिक्किम | 5464 |
| 29 | तमिलनाडु | 24482 |
| 30 | तेलंगाना | 65156 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 390 |
| 32 | त्रिपुरा | 2067 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 48188 |
| 34 | उत्तराखंड | 5623 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 33656 |
| | **कुल** | **854355** |

स्रोत :NCUI द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल2018-
# जम्मू और कश्मीर) UT (के आंकड़ों में लद्दाख) UT (के आंकड़े भी शामिल हैं

*****